उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग–1
सं0– 134/ix-1/106/2013
देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2013

<u>अधिसूचना</u>

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (1–क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–1014/ix-1/106/2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

<u>संशोधन</u>

पूर्वोक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी के क्रम संख्या 1 एवं क्रम संख्या 2 के स्तम्भ 2, स्तम्भ 3 एवं स्तम्भ 4 को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायेगा, अर्थातः–

क0सं0	यान का विवरण	वार्षिक कर की दर (रूपये में)	एक बार देय कर की दर (रूपये में)
1	2	4	5
1.	ड्राइवर को छोड़कर तीन व्यक्तियों से अनाधिक व्यक्तियों के बैठने वालें दुपहिया और तिपहिया मोटर कैब की प्रत्येक सीट के लिये	730	10,000
2.	(क) ड्राइवर को छोडकर 03 से अधिक और 06 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाले तिपहिया मोटर कैब के प्रत्येक सीट के लिये	730	10,000
	(ख) ड्राइवर को छोडकर 07 व्यक्तियों के बैठने वाले तिपहिया वाहन के प्रत्येक सीट के लिये	1700	10,000

(ख) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढा दिया जाएगा, अर्थातः–

3. क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2 (क) एवं (ख) के सम्मुख यथा विनिर्दिष्ट कोई यात्री वाहन जब जब निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां ढोते हुये पाया जाय तो यथा स्थिति उसके सम्मुख स्तम्भ 3 या 4 या 5 में विनिर्दिष्ट कर के अतिरिक्त 2200 रूपये प्रति सवारी की दर से भी कर देय होगा।

उपरोक्त संशोधित दरें दिनांक 01 दिसम्बर, 2012 से प्रभावी होंगी।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग–1
सं0– 135 / ix-1 / 106 / 2013
देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–1015 / ix-1 / 106 / 2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी के क्रम संख्या 1 के स्तम्भ 2, स्तम्भ 3 एवं स्तम्भ 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जायेगा, अर्थात:–

क0सं0	यान का विवरण	त्रैमासिक कर की दर (रूपये में)	वार्षिक कर की दर (रूपये में)
1	2	3	4
1क	मोटर कैब (दुपहिया एवं तिपहिया मोटरकैब को छोड़कर), के प्रत्येक सीट के लिये	430	1700
1ख	मैक्सी कैब, के प्रत्येक सीट के लिये	510	1900

(ख) स्पष्टीकरण 2 में शब्द " क्रम सं0 1 और " को हटा दिया जायेगा और शब्द "संख्या 6 के स्थान पर शब्द "संख्या 7 रख दिया जायेगा। एवं

(ग) स्पष्टीकरण संख्या 5 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढा दिया जाएगा, अर्थात:–

6. इस भाग के क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 2 में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे मालयान जिनकी रजिस्ट्रेशन के दिनांक से आयु 20 वर्ष से अधिक हो तथा माल वाहन के ऐसे मॉडल, जिनका पहाड़ पर संचालन संभव नहीं है, के लिए त्रैमासिक कर की दर में रूपये 30.00 प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये एवं वार्षिक कर की दर में रूपये 100.00 प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये, छूट होगी।

उपरोक्त संशोधित दरें दिनांक 01 दिसम्बर, 2012 से प्रभावी होंगी।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग–1
सं0– 136 /ix-1 / 106 / 2013
देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (2–क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–1016 / ix-1 / 106 / 2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी के क्रम संख्या 2,. कम संख्या 3 एवं कम संख्या 4 के स्तम्भ 2, स्तम्भ 3, स्तम्भ 4 एवं स्तम्भ 5 के स्थान पर, निम्नलिखित रख दिया जायेगा, अर्थात

क0सं0	यान का विवरण	प्रतिसीट कर की दर (रूपये में)		
		मासिक	त्रैमासिक	वार्षिक
1	2	3	4	5
2	(1) मंजिली गाड़ी द्वारा एक माह में तय की गयी 1500 किमी0 तक की दूरी के लिये– क– मैदानी मार्गो पर– ख–पर्वतीय मार्गो पर	 85 75		
	(2) 1500 किमी0 से अधिक–प्रत्येक अतिरिक्त किमी0 के लिये	रूपये 0.04 प्रतिसीट प्रतिकिमी0 जो उपरोक्त में जोड़ा जायेगा।	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना	स्तम्भ 3 मे निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना
3	मंजिली गाड़िया जो नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के भीतर अनन्य रूप से संचाति हों	85	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना
4.	मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन भारत के किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य प्रदेश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी मंजिली गाड़ियों की जिसके साथ सड़क परिवहन के मामले में पारस्परिक व्यवस्थायें की गयी हो और जो अपने परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के अधीन उत्तराखण्ड राज्य मे चलाने के लिये प्राधिकृत हो, द्वारा एक माह में तय की गयी 1500 किमी0 की दूरी के लिये–	75		
	(2) 1500 किमी0 से अधिक–प्रत्येक अतिरिक्त किमी0 के लिये–	रूपये 0.04 प्रतिसीट प्रतिकिमी0 जो उपरोक्त में जोड़ा जायेगा।	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का तीन गुना	स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट मासिक दर का ग्यारह गुना

(ख) स्पष्टीकरण–1 हटा दिया जायेगा।

उपरोक्त संशोधित दरें दिनांक 01 दिसम्बर, 2012 से प्रभावी होंगी।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग–1
सं0–137 /ix-1/106/2013
देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2013

अधिसूचना

(शुद्धि पत्र)

उत्तराखण्ड शासन, परिवहन अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1012/ix–1/106/2012 दिनांक 29–11–2012 के स्पष्टीकरण संख्या 4 में आए शब्द "यान पर प्रभावी" के स्थान पर "यान द्वारा भुगतान किये गये" पढ़ा जाए।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन,
परिवहन अनुभाग–1
सं0– 138 / ix-1 / 106 / 2013
देहरादून दिनांक 06 फरवरी, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–1020 / ix–1 / 106 / 2012 दिनांक 29–11–2012 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,

विद्यमान स्पष्टीकरण संख्या 2 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थातः–

2 " ऐसे किसी मोटरयान के सम्बन में किसी माह की अवधि में विशेष कर की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित वाहन स्वामी द्वारा अस्थायी परमिट प्राप्त करते समय किया जाएगा। ".

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव